जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–12/25/डी–1760 दिनांक 21-02-25

मैसर्स डायनमिक
जरिये साझेदार श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल,
पंजीकृत पता–8/294, विद्याधर नगर,
जपयुर।

विषयः–राजस्व ग्राम नींदड तहसील रामपुरा डाबडी के खसरा नं. 374 व 376 कुल किता 2 रकबा 0.4600 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना इम्पीरियल स्टेट का संशोधित मानचित्र जारी करने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम नींदड तहसील रामपुरा डाबडी के खसरा नं. 374 व 376 कुल किता 2 रकबा 0.4600 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना इम्पीरियल स्टेट का संशोधित मानचित्र जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

जिसमें बीपीसी एलपी की बैठक 359 दिनांक 16.07.2024 के एजेण्डा सं. 10 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

1- योजना में रहन में रखे भूखंड सं. 8, 9, 19 कुल तीन क्षेत्रफल 392.11वर्गमीटर किया गया है।
2- योजना के मूल मानचित्र में क्षेत्रफल विश्लेषण में हुई त्रुटि को मानचित्र अनुसार संशोधित कर दिया गया है एवं मानचित्र में त्रुटिवश तहसील आमेर के स्थान पर तहसील रामपुरा डाबडी का संशोधन अंकन कर दिया गया है।
3- जोन कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.02.2025 के अनुसार प्रश्नगत योजना से गुजर रही एल.टी. लाईन को शिफ्ट कर दिया गया है।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.02.21 19:17:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13768871

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2024 / डी– 5919 दिनांक 20/11/24

श्री विकास अग्रवाल पार्टनर मैसर्स डायनैमिक
पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल
निवासी–8 / 294, विद्याधर नगर, जयपुर।

विषयः– राजस्व ग्राम नींदड तहसील रामपुराडाबडी के खसरा नम्बर 374 रकबा 0.2300 हैक्टेयर व 376 रकबा 0.2300 कुल किता 2 रकबा 0.4600 हैक्टयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना **"इम्पीरियल एस्टेट"** का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत में लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत राजस्व ग्राम नींदड तहसील रामपुराडाबडी के खसरा नम्बर 374 रकबा 0.2300 हैक्टेयर व 376 रकबा 0.2300 कुल किता 2 रकबा 0.4600 हैक्टयर भूमि पर प्रस्तावित आवासीय योजना **"इम्पीरियल एस्टेट"** का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 359वीं बैठक दिनांक 16.07.2024 को किया जा चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत भूखण्ड संख्या 8, 9 व 19 कुल भूखण्ड 3 क्षेत्रफल 391.11 व.मी. जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर तथा रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2024.11.20 15:39:00 IST
Reason: Approved

LAY OUT PLAN OF **"IMPERIAL ESTATE"** IN KHASRA NO.- 374, 376, AT VILLAGE- NINDER, TEHSIL- ~~AMER~~ RAMPURA DABRI, JAIPUR (RAJ.)
SCALE :- 1 : 500 OR (1CM = 5.0 Mt.)

1475
B
12.11.24.

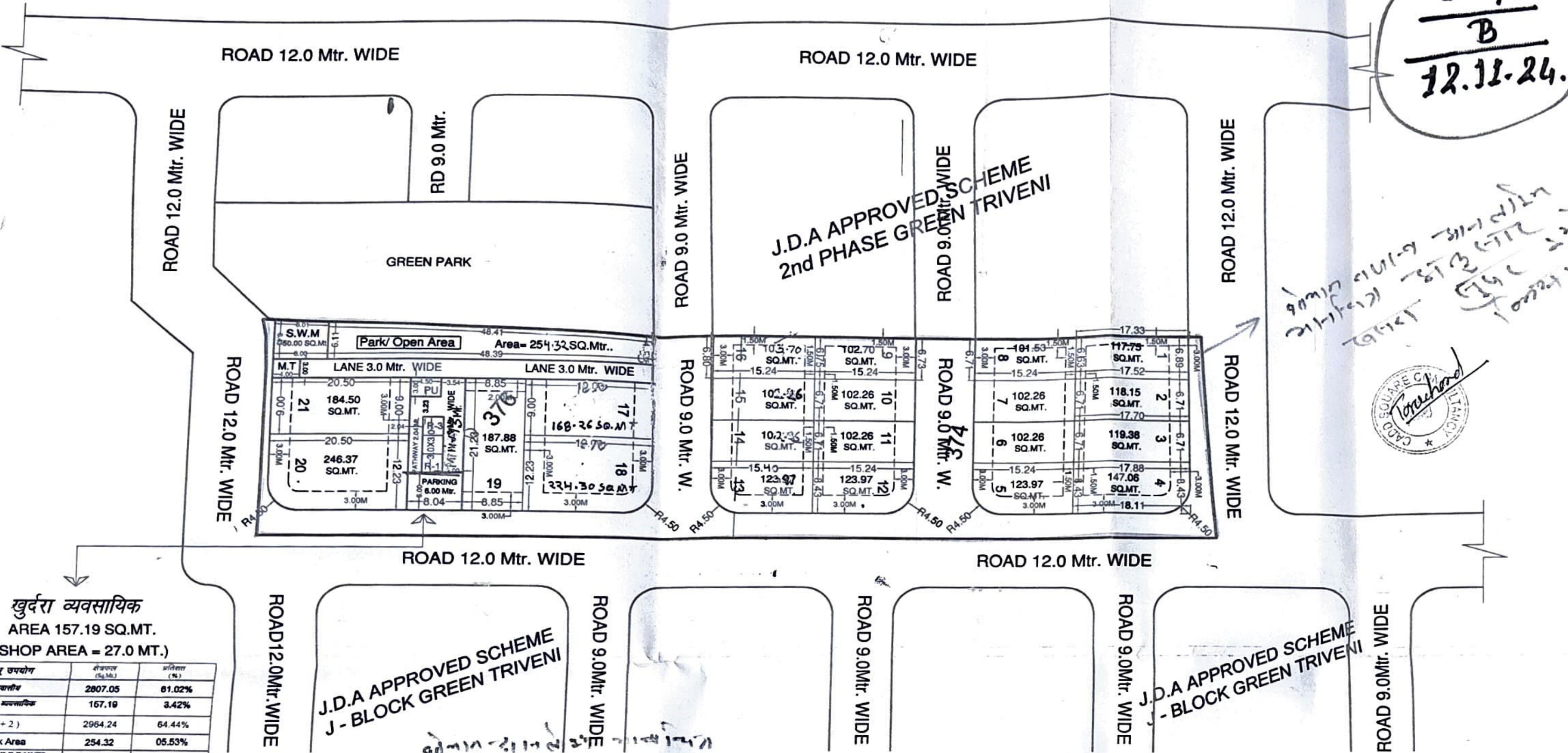

खुदरा व्यवसायिक
AREA 157.19 SQ.MT.
(SHOP AREA = 27.0 MT.)

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.Mt.)	प्रतिशत (%)
1.	आवासीय	2807.05	61.02%
2.	खुदरा व्यवसायिक	157.19	3.42%
	कुल (1+2)	2964.24	64.44%
3.	Park Area	254.32	05.53%
4.	MOBILE TOWER (COMMUNICATION FACILITY)	12.00	00.26%
5.	S.W.M. (SOLID WASTE MANAGEMENT)	50.00	01.09%
6.	P.U (JDA) (PUBLIC UTILITY SPACE)	13.50	00.29%
7.	योजना सड़क क्षेत्र	1305.94	28.39%
	कुल (3+4+5+6+7)	1635.76	35.56%
	कुल योजना क्षेत्र	4600.00	100.00%
	कुल खातेदार का क्षेत्र	= 4600.00 SQ.M. (0.4600 HACT.)	

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है ।

अमीन
जोन–12

नोट
1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 29.05.2024 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 8, 9, 19 कुल भूखण्ड 3 कुल क्षेत्रफल 392.11 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डो का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 359 वीं बैठक दिनांक 16.07.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 में आवासीय दर्शित है।
7. योजना मानचित्र टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
8. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डो पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया हैं।
9. योजना में से गुजर रही LT लाईन से प्रभावित भूखण्डों की लीजडीड LT लाईन शिफ्ट होने के पश्चात ही जारी किये जावें।

नोट :- योजना के मूल मानचित्र में क्षेत्रफल विवरण में हुई त्रुटि को मानचित्र अनुसार संशोधित कर दिया गया है एवं मानचित्र मे त्रुटिवश तहसील आमेर के स्थान पर तहसील रामपुरा डाबरी का संशोधित अंकन कर दिया गया है।

सहायक नगर नियोजक जोन-12 12/2/25 | उपायुक्त जोन-12 | सहायक नगर नियोजक जोन–12 | तहसीलदार जोन–12 | उपायुक्त जोन–12 | वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.) | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

J . D . A.

NORTH:-

KEY PLAN :-

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
आवासीय – 21
व्यावसायिक
व्यावसायिक भूखण्ड–03
1. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड –
2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड –
3. खाली भूखण्ड –
कुल भूखण्ड – 24
मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-
नोट :- सेक्टर रोड एवं योजना की रोड पर सिक्स कोर्नर भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया गया है।

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.Mt.)	प्रतिशत (%)
1.	आवासीय	2812.17	61.13%
2.	खुदरा व्यवसायिक	157.19	3.42%
	कुल (1+2)	2969.36	64.55%
3.	Park Area	254.32	05.53%
4.	MOBILE TOWER (COMMUNICATION FACILITY)	12.00	00.26%
5.	S.W.M. (SOLID WASTE MANAGEMENT)	50.00	01.08%
6.	P.U (JDA) (PUBLIC UTILITY SPACE)	13.50	00.29%
7.	योजना सड़क क्षेत्र	1297.42	28.21%
	कुल (3+4+5+6+7)	1630.64	35.41%
	कुल योजना क्षेत्र	4600.00	100.00%
	कुल खातेदार का क्षेत्र	= 4600.00 SQ.M. (0.4600 HACT.)	

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90–ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार | नाम उपायुक्त जोन–

बी.पी.सी./जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

ARCHITECTURAL CONSULTANT:-
CADD SQUARE Consultancy
319 - 2 nd Floor, Apex Mall, Lal kothi, Tonk Road, Jaipur (Raj.)
Tel : +91 141 4015808, Mob.- 98290-47373, 97845-90593
Email: caddsquare.jaipur@gmail.com, Web : www.caddsquare.com

NAME OF SCHEME :-	"IMPERIAL ESTATE"
IN KHASRA NO.- 374, 376 AT VILLAGE - NINDER, TEH.-AMER, JAIPUR (RAJ.)	
NAME OF SOCIETY :-	"NIJI KHATEDAR"
ZONE NO.- 12	SECTOR. NO.-
SCALE:- 1 CM= 5.0MT.	DRG. NO. CSC/24/03

A.T.P. ZONE (ZONE-12)	D.T.P. (ZONE-12)	S.T.P. (ZONE-12)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR